राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2023 / 01 पौष, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–59 / 2023.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण

(संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2023 का विधेयक संख्यांक 19

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 25 का संशोधन।
4. धारा 46 का संशोधन।
5. धारा 48 का संशोधन।
6. धारा 49 का संशोधन।
7. धारा 51 का संशोधन।
8. धारा 55 का संशोधन।
9. धारा 59 का प्रतिस्थापन।
10. धारा 64 का संशोधन।

———————————

2023 का विधेयक संख्यांक 19

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 3 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,–

(क) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(छछ) "होमस्टे" से, राज्य में अवस्थित कोई भी प्राइवेट गृह अभिप्रेत है जिसे पर्यटकों को आवास के हेतु उपलब्ध कराया जाएगा;";

(ख) खण्ड (ढ) में,–

(i) "समय शेयर इकाई" शब्दों के पश्चात् "होमस्टे" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा; और

(ii) "साहसिक खेल–कूद प्रक्षेय'' शब्दों के पश्चात् "रज्जूमार्ग, कन्वेंशन केन्द्र और वेलनेस केन्द्र" शब्द और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 25 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (1) के पश्चात् प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी स्कीम के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत और क्रियाशील पर्यटन इकाइयां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम,2023 के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति जैसी विहित की जाए में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगीः

परन्तु यह और कि लागू रजिस्ट्रीकरण फीस विद्यमान रजिस्ट्रीकरण के अवसान तक उद्गृहीत नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और कि ऐसी पर्यटन इकाइयों को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने से 90 दिन की अवधि के भीतर यथाविहित अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।"।

4. धारा 46 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 46 में "छह मास से अनधिक अवधि के कारावास से या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "एक लाख रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 48 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 48 में "तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "एक लाख रुपए के जुर्माने से या रजिस्ट्रीकरण रद्द करना या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 49 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (2) में "पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "दस हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 51 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 51 में "तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "दस हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 56 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (1) में,

(क) "कोई राशि" शब्दों के पश्चात् "प्रश्नगत अपराध के लिए अधिरोपणीय जुर्माने का ठीक आधा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) ''जिसके विरुद्ध अपराध किया गया हो'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "यदि ऐसा है तो," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 59 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"59. प्रमाण–पत्र का नवीकरण.– विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी नवीकरण फीस के संदाय पर जैसी विहित की जाए, किया जाएगा।"।

10. धारा 64 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 64 में उप–धारा (2) के खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ड) होम स्टेज का रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, व्यापार, विनियमन और वर्गीकरण, होम स्टेज में स्वच्छता के रखरखाव के मानक, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान और न्यूनतम सुविधाएं और होम स्टेज के स्वामियों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को वर्ष 2002 में पर्यटन इकाइयों और पर्यटन क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण को कारित करने और तत्संबद्ध अन्य मामलों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जबसे अधिनियम प्रवृत्त हुआ है, पर्यटन सैक्टर में इसके विस्तार, क्रियाकलापों और इन क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन इकाइयों की संख्या और दायरे में विस्तार हुआ है तथा विभाग को विनियमन और अन्य कृत्यों जैसे इन पर्यटन इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के क्रम में निरन्तर चुनौती का सामाना करना पड़ रहा है। तथापि, अधिनियम में नए क्रियाकलापों/इकाइयों का पर्यटन क्रियाकलापों/इकाइयों के रूप में समावेश के क्रम में कोई पुनरीक्षण और इन पर्यटन इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की आवृत्ति में पुनरीक्षण नहीं देखा गया है। पर्यटन व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों में आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने हेतु अपराधों का वैधीकरण भी अपेक्षित है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्यमंत्री।

धर्मशाला:

तारीख....., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 19 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 3.

.

3. Amendment of section 25.

4. Amendment of section 46.

5. Amendment of section 48.

6. Amendment of section 49.

7. Amendment of section 51.

8. Amendment of section 55.

9. Substitution of section 59.

10. Amendment of section 64.

Bill No. 19 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(a) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

"(gg) "home stay" means any private house located in the State, which will be made available to the tourists for accommodation;";

(b) in clause (n),—

(i) after the words and sign "time share units,", the words and sign "Home Stays," shall be inserted; and

(ii) after the words and sign "adventure sports complexes,", the words and sign "Ropeways, Convention Centres and Wellness Centres," shall be inserted.

3. Amendment of section 25.—In section 25 of the principal Act, after sub-section (1), for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that the tourism units already registered and functional under any scheme of the Central or State Government shall apply for registration within a period of 30 days from the date of commencement of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2023 in the manner as may be prescribed:

Provided further that applicable registration fee shall not be levied till the expiry of the existing registration:

Provided further that such tourism units shall have to fulfill the requirements as may be prescribed within a period of 90 days from the commencement of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2023:".

4. Amendment of section 46.—In section 46 of the principal Act, for the words and sign "imprisonment for a term not exceeding six months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both", the words "fine of One lakh rupees" shall be substituted.

5. Amendment of section 48.—In section 48 of the principal Act, for the words "imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both", the words "fine of One lakh rupees or cancellation of registration or with both" shall be substituted.

6. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "fine not exceeding five thousand rupees", the words "fine of Ten thousand rupees" shall be substituted.

7. Amendment of section 51.—In section 51 of the principal Act, for the words "imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding one thousand rupees or with both", the words "with fine of Ten thousand rupees" shall be substituted.

8. Amendment of section 55.—In section 55 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) after the words "a sum of money", the words "exactly half of the fine imposable for the offence in question" shall be inserted; and

(b) after the words "has been committed", the words, and sign "if that be the case," shall be inserted.

9. Subsititution of section 59.—For section 59 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**59. Renewal of Certificate.**— The registration certificate issued by the prescribed authority shall be valid for a period of two years from the date of issuance of registration certificate. The registration certificate shall be renewed by the prescribed Authority in such manner and on payment of such renewal fee as may be prescribed.

10. Amendment of section 64.—In section 64, of the principal Act, in sub-section (2), after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:—

"(m) registration, renewal, trade, regulation and classification of home stays, standards of maintenance of hygiene, cleanliness, waste disposal and minimum facilities in home stays and prescription of duties and responsibilities of owners of home stays.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act was enacted in the year 2002 to cause and regulate registration of tourism units and persons engaged in tourism activities, and other matters connected therewith. Ever since the Act came into force, tourism sector has undergone tremendous changes in terms of its scope, activities and number of persons engaged in these activities. Further tourism units have proliferated in number and scale and the department is continuously facing a challenge in terms of regulation and other functions like registration or renewal thereof. However, the Act has not seen any revision in terms of inclusion of new activities/units as tourism activities/units and revision of frequency of renewal of registration of these tourism units. The decriminalisation of offences is also required to encourage and instill confidence among persons engaged in the tourism trade. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:
THE ……., 2023.